

तत्काल

विषय:-

हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2023-24 के वेतन में से इनकम टैक्स की कटौती करने उपरान्त फार्म-16 देने बारे।

क्या

1. मुख्य मंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव/ सलाहकार सिंचाई/अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/ विशेष कार्यकारी अधिकारी/ राजनीतिक सचिव/ राजनीतिक सलाहकार/ विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. सभी मंत्रीगण के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देगे ?

2. वित्त वर्ष 2023-24 के वेतन में से आयकर की कटौती उपरान्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे लेखा शाखा से अपना फार्म-16 दिनांक 30.07.2024 तक प्राप्त कर ले ताकि आयकर रिटर्न समय पर फाईल की जा सके।

अधीक्षक लेखा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

Office Phone No. 0172-2740001,226,326 RAX-5511

सेवा में

1. मुख्य मंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव/ सलाहकार सिंचाई/अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/ विशेष कार्यकारी अधिकारी/ राजनीतिक सचिव/ राजनीतिक सलाहकार/ विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. सभी मंत्रीगण के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

अशा क्रमांक 11/10/2023-3ए

दिनांक चण्डीगढ़ 18.06.2024